उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-26/2280/26-1-2014-सक-1

लखनऊ : दिनांक: 01 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-202/स0क0/स्था-2/125/वै0पत्रा0, दिनांक 02-07-2014 में की गयी संस्तुतियों के क्रम में श्री जीयालाल, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मूसेपुर, आजमगढ़, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2014-15 के मध्य सत्र में दिनांक 31-07-2014 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों को देखते हुए शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय, श्री जीयालाल, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मूसेपुर, आजमगढ़ को पूर्ण शिक्षा सत्र, 2014-15 तक अर्थात दिनांक 30-06-2015 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

केदारनाथ
विशेष सचिव।

पृ0सं0-26/2280(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, आजमगढ़।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मूसेपुर, आजमगढ़।
6- श्री जीयालाल, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मूसेपुर, आजमगढ़।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in